(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) और (च) संसाधनों एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करते हुए देश में 70 उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर परियोजनायें कार्यान्वयनाधीन स्थापित करने हेतु परिकल्पित हैं ।

**समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित समिति**

*20. **श्री ईश दत्त यादव :**
**चौधरी हरमोहन सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सभी पहलुओं तथा बैंकों की भूमिका और कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा करने हेतु नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)** : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने और इसमें सुधार के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए 29 सितम्बर, 1993 को एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी । समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दिनांक 1-11-1994 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को प्रस्तुत की थी और उसकी एक प्रति सरकार को उपलब्ध कराई गई है । अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशें संक्षिप्त रूप से संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

**विवरण**

**समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) से संबंधित विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशें**

परिसंपत्तियों को संभालने के मामले में अकुशल और बिना अनुभव वाले-गरीबों को एक समिति द्वारा अलग श्रेणी में विभक्त किया जाना चाहिए । इस समिति में ब्लाकों, पंचायतों, अग्रणी बैंकों के प्रतिनिधि, स्कूल के अध्यापक, पोस्ट मास्टर, विशिष्ट ग्रामीण व्यक्ति और आधार स्तरीय (ग्रास रूट) एनजीओ शामिल होने चाहिएं । ऐसे गरीब व्यक्तियों को प्रारम्भ में राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और जवाहर योजना के अंतर्गत मजदूरी के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए । उन्हें अधिक सामाजिक उपभोग व्यय के लिए प्रावधान करके भी सहायता प्रदान की जानी चाहिए । उन्हें आईआरडीपी के अंतर्गत इस शर्त के अधीन सहायता प्रदान की जानी चाहिए कि वे कौशल प्राप्त कर लेंगे या अपने कौशल में वृद्धि कर लेंगे । अन्य गरीब वर्ग अर्थात्, सर्वाधिक गरीब परिवारों को, जिनके पास युक्तिसंगत कौशल और अनुभव है, आईआरडीपी के अंतर्गत सीधे सहायता प्रदान की जा सकती है । रोजगार के क्षेत्र में अपेक्षाकृत नए प्रवेशकों को ट्राइसेम या अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण और उसके बाद आईआरडीपी के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जा सकती है ।

2. लीकेज और कदाचारों को समाप्त करने के लिए, समिति फ्रंट-एंड सब्सिडी प्रणाली के बदले बैक एंड सब्सिडी प्रणाली अपनाने की सिफारिश करती है । सब्सिडी का लाभ उन उधारकर्ताओं को भी उपलब्ध होना चाहिए, जो कार्यशील पूंजी वित्त लाभ करना चाहते हैं ।

3. वसूली को सुधारने के लिए, भारत सरकार सब्सिडी आबंटन का कुछ प्रतिशत भाग वसूली कार्यनिष्पादन से संबद्ध करने पर विचार कर सकती है । सरकारों द्वारा विशेष वसूली अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है । तलवार समिति की सिफारिश के अनुसार शेष राज्य सरकारों द्वारा नमूना बिल का अधिनियमन शीघ्र किया जाना चाहिए । ऋण माफिया की घोषणा नहीं की जानी

चाहिए । डी आरडीए, बीओ और एसएचजी वसूली में बैंकों की सहायता कर सकते हैं उपयोग-रिपोर्टर सह वसूली फेसिलिटेटर की कमीशन के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है ।

4. निवेश के अवसरों का पता लगाने और परियोजना रूपरेखाएं तैयार करने का काम डीआरडीए द्वारा गठित किए जाने वाले जिला स्तरीय तकनीकी समूह द्वारा शुरू किया जा सकता है ।

5. डीआरडीए को डीसीसी और डीएलबीसी के परामर्श से बुनियादी सुविधाओं की एक भावी योजना अवश्य तैयार करनी चाहिए । बुनियादी सुविधाओं की स्थापना की व्यय सीमा को बजटीय आवंटन के 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है । निर्धन ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने के लिये प्रत्येक ब्लाक में कम से कम एक लघु आईटीआई या ग्रामीण पालिटेक्निक की स्थापना की जा सकती है। गैर-सरकारी क्षेत्र को भी ऐसी संस्थाओं की स्थापना के कार्य में शामिल किया जा सकता है । टीआरवाईएसईएम के लिये सभी आईटीआई और दूसरे प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त पारी शुरू की जानी चाहिए ।

6. पंचायतों और ग्रामीणों को अधिक से अधिक शामिल करके और हिताधिकारियों की पहचान की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाकर भी आईआरडीपी के लोकतांत्रिक चरित्र को पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए ।

7. भारत सरकार से लक्ष्यों की प्रतीक्षा किये बिना 10 प्रतिशत मिलाने के पश्चात्, पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत बैंकों को आईआरडीपी के संबंध में लक्ष्यों को अंतिम रूप देने के लिये प्राधिकृत किया जा सकता है ।

8. बैंकों को वास्तविक वापसी अदायगी का निर्धारण करना चाहिए और जहां आवश्यक हो तैयारी अवधि देनी चाहिए । जहां कहीं आवश्यक हो नकद ऋण सीमा के रूप में कार्यशील पूंजी सहायता दी जानी चाहिए । आईआरडीपी ऋणों की वापसी अदायगी की अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए । बैंकों को आईआरडीपी के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए सामूहिक ऋण को प्रोत्साहित करना चाहिए । आईआरडीपी के तहत दृष्टिबंधक न लिए जाने की सीमा को 25,000/- रु० निर्धारित की जानी चाहिए । 50000/- रु० तक के ऋणों पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति के लिए जोर नहीं दिया जाना चाहिए । बैंकों को यह स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वे प्रायोगिक आधार पर जीपीएल सूची से हिताधिकारियों का चयन कर सकें ।

9. आईआरडीपी के तहत प्रति परिवार/उद्यम निवेश के स्तर को अधिक ऋण देकर और साथ ही सब्सिडी की अधिक राशि देकर बढ़ाया जाना चाहिए ।

10. कृषि भिन्न, अति लघु/छोटे उद्यमों और सेवा क्षेत्रों का आईआरडीपी के तहत और उन्नयन किया जाना चाहिए ।

11. डीआरडीए को व्यवसायिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के संघटित शर्तों के अनुरूप पुनर्गठित किया जाना चाहिए ।

12. आईआरडीपी के कार्यान्वयन के साथ स्वयंसेवी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाना चाहिए । सीएपीएआरटी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के मामले में, उधारकर्ताओं की पहचान करने, बेकवर्ड/फारवर्ड लिकेज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और साथ ही ऋण के अन्तिम उपयोग का सत्यापन करने के लिए बीओ को प्रगामी आधार पर बीपीएल परिवारों की सूची दी जा सकती है ।

13. भूमि के अधिग्रहण के लिए बैंकों को आईआरडीपी के तहत ऋण उपलब्ध कराना चाहिए ।

14. सारे देश में आईआरडीपी के तहत नकदी संवितरण, दिया जाना चाहिए।

पारिवारिक ऋण आयोजना स्कीम को पुन: प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

15. उन हिताधिकारियों को आई आरडीपी के तहत अनुपूरक सहायता दी जानी चाहिए जो प्रारम्भिक सहायता से गरीबी की रेखा पार नहीं कर सके हैं ।

16. आईआरडीपी के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थानों को आधारिक स्तरों और माध्यमिक स्तरों पर जोड़ा जाना चाहिए ।

17. सूचना शिक्षा और संचार के माध्यम से आईआरडीपी में एक नया आयाम जोड़ा जाना चाहिए जिसके लिए एक पृथक बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

**Public telephones in villages**

1. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to provide public telephones in every village in the country by the end of 1997; and

(b) if so, the progress made so far in that regard so far, State-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir.

(b) The details of State-wise progress made upto 31-01-1995 are given tn the annexed Statement.

**Statement**

*State-wise details of village public telephone facility upto* **31-01-1995.**

| Sl.No | Circle/state | Number of Villages with Telephone facility |
|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | 20105 |
| 2 | Assam | 5230 |
| 3 | Bihar | 10348 |
| 4 | Gujarat Including Dadar & Nagar Haveli, Daman & Diu | 11176 |
| 5 | Haryana | 6130 |
| 6 | Himachal Pradesh | 2641 |
| 7 | Jammu & Kashmir | 976 |
| 8 | Karnataka | 5942 |
| 9 | Kerala | 1523 |
| 10 | Madhya Pradesh | 21221 |
| 11 | Maharashtra Including Goa. | 16309 |
| 12 | North-East Including Mizoram, Nagaland, Arunachal, Meghalaya, Tripura & Manipur | 1704 |
| 13 | Orissa | 6952 |
| 14 | Punjab | 8080 |
| 15 | Rajasthan | 8261 |